कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकः- G.D./Ins.Veh/K-12/2022-23/ 145 दिनांकः- 27.06.2022

सीमित निविदा

इस कार्यालय द्वारा निरीक्षण कार्य हेतु एक छोटा वाहन (Sedan Premier Latest Model White Colour) कार दिनांक 31.03.2023 तक के लिए अनुबंध के आधार पर रखी जानी है। इच्छुक कार प्रदाता फर्मो से उक्त कार हेतु सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है ।

इस संबंध में सामान्य नियम एवं शर्ते, योग्यता एवं टेण्डर फार्म हेतु इस कार्यालय के जी.डी.अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस एवं कार्यालय समय में दिनांक 07.07.2022 तक प्राप्त किये जा सकते है।

सीलबन्द निविदा फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 08.07.2022 सांय 3.00 बजे तक है । इस निविदा की विस्तृत सूचना एव शर्ते इस कार्यालय की वेबसाइट https://cag.gov.in/ae/rajasthan/en तथा सी.पी.पी पोर्टल पर उपलब्ध है ।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/जी.डी.

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकः-G.D./Ins.Veh/K-12/2022-23/145 दिनांकः- 27-06-2022

निविदा दरें प्रस्तावित करने हेतु प्रोफार्मा

1. फर्म/सेवा प्रदाता का नाम ....
2. दूरभाष/मोबाईल नम्बर ....
3. प्रोप्राईटर/निदेशक का नाम ....
4. फर्म/सेवा प्रदाता पता ....

5. दरों का विवरण

कार्यालय का नाम व पता	कार का विवरण	मासिक दर 1500 KM PER MONTH
कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर जनपथ, स्टेच्यू सर्किल के पास, जयपुर - 302005	एक छोटा वाहन (Sedan Premier Latest Model White Colour) कार	

6. आयकर को छोडकर अन्य लागू टैक्स की दरें एवं टैक्स का विवरण (आयकर सेवा प्रदाता द्वारा वहन किया जायेगा) ....
7. अन्य जिम्मेदारियां, यदि कोई हो..

नोटः उक्त वर्णित राशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह के टैक्स या अन्य अतिरिक्त राशि के भुगतान का दावा नही किया जायेगा ।

हस्ताक्षर मय तिथि..............................

फर्म का नाम......................................मोहर..

किराये की कार हेतु निविदा शर्तें

1. एक (Sedan Premier Latest Model White Colour) नई वातानुकूलित कार तथा पूर्णतया सुसज्जित होनी चाहिए जिसमें सफेद सीट कवर, म्यूजिक, कारपेट, फुटमेट, पर्दे तथा जी.पी.एस. सिस्टम आदि फिटिंग्स होनी चाहिए।
2. वाहन चालक को कम से कम पांच वर्ष का अनुभव तथा टेक्सी नम्बर कार चलाने हेतु अधिकृत ड्राईविंग लाईसेन्सधारी होना चाहिए।
3. सामान्यतया कार्य समय प्रात: 9.00 बजे से सांय 9.00 बजे तक होगा। रविवार के अतिरिक्त कोई अवकाश नहीं होगा।
4. उपलब्ध करवायी गयी कार के खराब होने/सर्विस पर होने अथवा वाहन चालक की अनुपस्थिति के दौरान दूसरी कार उपलब्ध करवायी गयी कार के समकक्ष करवायी जानी है तथा अन्य वाहन चालक की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी। किसी भी दिन कार उपलब्ध नहीं करवाने अथवा चालक के अनुपस्थित रहने पर कार अनुबंध की राशि में से एक दिवस की राशि काटी जाएगी।
5. कार जयपुर या राजस्थान से बाहर दौरे पर जा सकती है जिसमें चालक के ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था सेवा प्रदाता द्वारा की जाएगी, दूसरे राज्य का कर, टोल टैक्स, पार्किंग का खर्चा कार्यालय द्वारा देय होगा।
6. कार की मरम्मत एवं सभी प्रकार के कर, इन्श्योरेन्स एवं दुर्घटना के सम्बन्ध में पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
7. निविदा में सफल निविदादाता के अनुबंध की अवधि 31.03.2023 तक के लिए होगी।
8. कार के ड्राईवर से सम्बन्ध स्थापित करने हेतु उसके निवास स्थान पर या तो टेलीफोन हो या मोबाईल नम्बर सेवा प्रदाता द्वारा बताना होगा।
9. वाहन की दरें 1500 कि.मी. प्रति माह की होगी यदि किसी माह में कार 1500 कि.मी. से कम चलेगी तो उस माह में बचे हुए कि.मी को आगामी तीन माहों में समायोजित किया जाएगा। किसी माह में 1500 कि.मी. से अधिक चलने पर अधिक कि.मी. को आगामी एक माह के लिए अग्रेषित किया जाएगा।
10. सेवा प्रदाता द्वारा कार चालक को निर्धारित वर्दी उपलब्ध करवानी होगी और उसे कार्य समय में पहनना अनिवार्य होगा।
11. कार्यालय द्वारा सप्ताह में एक दिन (रविवार) का अवकाश दिया जाएगा, यदि आवश्यकता होने पर वाहन चालक को अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकता है। निर्धारित समय के अतिरिक्त समय हेतु ओवरटाईम निविदा के हिसाब से 200 रूपये प्रति घण्टा देय होगा यह उस स्थिति में देय नहीं होगा जब कार जयपुर से बाहर दौरे पर जाए एवं इसके लिए नाइट होल्ट चार्ज निविदा अनुसार 200 रूपये प्रति नाईट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
12. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त एक अनुबंध पत्र भरना होगा जो कि 500/- रूपये के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर करना होगा।
13. निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में राशि रूपये 10,000/- (Ten Thousand) का डिमान्ड ड्राफ्ट Pay & Accounts Officer (IA&AD), Rajasthan, Jaipur के पक्ष में बनवाकर संलग्न करना होगा।

14. सफल निविदा दाता को कुल निविदा की अवधि की राशि का पांच प्रतिशत के बराबर राशि का Demand Draft/FDR सुरक्षित जमा के रूप में जमा करवाना होगा।
15. यह कि स्वीकृत दरें कुल निविदा की अवधि के लिए लागू होगी तथा समय में वृद्धि फर्म एंव इस कार्यालय की आपसी सहमति से ही की जा सकेगी।
16. उपलब्ध करवायी जाने वाली कार को कार्यालय अथवा कार्यालय की आवासीय कालोनी में खड़ी करनी होगी। यदि कार्यालय परिसर में खड़ी नहीं करते हैं तो आने व जाने के कि.मी. कुल कि.मी. में से कम करने होंगे।
17. विभाग की आवश्यकता अनुसार ठेके की शर्तों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार इस कार्यालय को होगा।
18. यदि भविष्य में उपलब्ध करवायी गयी कार पर कर लागू होता है या फर्म किसी कर के दायरे में आती है तो कर की राशि जमा करवाने की जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी।
19. ठेका समाप्ति हेतु कम से कम एक माह का नोटिस सेवाप्रदाता और इस कार्यालय को कम से कम एक माह का नोटिस देना होगा परन्तु वाहन चालक के अशोभनीय व्यवहार या कार की सही सर्विस नहीं होने पर अथवा कार चालक के लगातार समय पर उपस्थित नहीं होने पर इस कार्यालय को किसी भी समय ठेका रद्ध करने का पूर्ण अधिकार होगा।
20. सेवाप्रदाता की यह जिम्मेदारी होगी कि कार पर समस्त देय कर एवं बीमा राशि, ईंधन, ल्यूबरीकेन्ट, चालक के वेतन भुगतान (न्यूनतम मजदूरी भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी नियमों के अनुसार) समय पर किया जाए और कार हमेशा अच्छी कंडीशन में रहे और कार की रिपेयरिंग/सर्विस अवकाश के दिवस में ही करायी जाए, यदि कार्य दिवस को कराना अनिवार्य हो तो आवश्यकताअनुसार दूसरी कार की व्यवस्था सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी।
21. उपलब्ध करवायी जाने वाली कार पर फास्ट टैग एवं अग्नि शामक यंत्र लगाना आवश्यक है।
22. उपलब्ध करवायी जाने वाली कार केवल पैट्रोल/डीजल युक्त ही होनी चाहिए इसके अतिरिक्त अन्य इंधन गैस फिटेड कार मान्य नहीं होगी।
23. Covid 19 के नियमों की पूर्ण रूप से अनुपालना वाहन प्रदाता को करनी होगी।
24. विवाद की दशा में मामले में अन्तिम निर्णय वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन) का रहेगा।
25. निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार इस कार्यालय को होगा।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/जी.डी.